दिनांक–01.07.2025 को ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी, रीगा, सीतामढ़ी के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों में कृषकों के बकाये ईख मूल्य भुगतान से संबंधित विडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, संयुक्त ईखायुक्त/श्री सौरभ सिन्हा, ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/श्रीमती निशि कांत, वरीय उप–समाहर्त्ता, सीतामढ़ी/श्री ब्रजेश कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी/श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, वरीय गन्ना प्रबंधक, रीगा चीनी मिल, रीगा, सीतामढ़ी।

बैठक की कार्यवाही ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

सर्वप्रथम ईखायुक्त, बिहार द्वारा मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी, रीगा, सीतामढ़ी के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों में कृषकों के बकाये ईख मूल्य भुगतान से संबंधित समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि कुल 16545 कृषकों में 40 प्रतिशत कृषकों की जाँच किसान सलाहकार तथा किसान समन्वयक द्वारा की गयी है।

बैठक में ईखायुक्त, बिहार द्वारा कहा गया कि राज्यहित एवं किसानहित में रीगा सुगर कम्पनी लि०, सीतामढ़ी के गन्ना कृषकों के बकाये ईख मूल्य मो० 51,30,91,296.00 (इकावन करोड़ तीस लाख इकानवे हजार दौ सौ छियानबे) रूपये (मूलधन) का भुगतान चीनी मिल के एक पेराई वर्ष के सफल परिचालन के उपरान्त किसानों को करने की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गयी है, जिसे ससमय भुगतान कराने हेतु निदेश दिया गया।

बैठक में उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं चीनी मिलों के साथ दिनांक–02.07.2025 को एक बैठक आयोजित कर कृषकों के भुगतान संबंधित कार्ययोजना तैयार की जायेगी। साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी बताया गया कि पहचान–पत्र की जाँच एवं मिल रसीद से राशि की मिलान की जा रही है।

ईखायुक्त द्वारा वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी द्वारा रीगा चीनी मिल के कृषकों के भुगतान के संबंध में कार्ययोजना से संबंधित मंतव्य मांगा गया। इसपर वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि किसानों द्वारा शिकायत आ रही है कि विपत्र में जो राशि अंकित है जो कम है, इससे अधिक का भुगतान होना चाहिए। कृषकों का सत्यापन करना महत्वपूर्ण है कि वे जीवित है या नहीं तथा सही या गलत है। कृषकों की सूची एवं बकाये राशि की विवरणी NCLT, कोलकाता बेन्च के RP द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

बैठक में ईखायुक्त द्वारा सीतामढ़ी जिला के बाहर के कृषकों के सत्यापन के बारे में पूछा गया। वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि कृषकों के सत्यापन हेतु जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/शिवहर/पूर्वी चम्पारण एवं मधुबनी को पत्र प्रेषित की गयी है तथा इसकी प्रति उक्त संबंधित जिला पदाधिकारी को भी भेज दिया गया है।

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, वरीय गन्ना प्रबंधक, रीगा चीनी मिल, रीगा, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि कृषकों द्वारा जाँच के क्रम में पाया गया कि सिर्फ आधार कार्ड ही उपलब्ध है चीनी मिल द्वारा निर्गत रसीद उपलब्ध नहीं है। ईखायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि आपलोग अपने स्तर से आपसी सहमति एवं विचार–विमर्श करते हुए अपनी समिति का प्रचार करें तथा कृषकों को पूरी पारदर्शिता के साथ सहयोग करें। इसपर श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, वरीय गन्ना

प्रबंधक, रीगा चीनी मिल, रीगा, सीतामढ़ी द्वारा पूरी पारदर्शिता बनाये रखने का आश्वासन दिया गया।

बैठक में ईखायुक्त द्वारा वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी को अपने स्तर से जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/शिवहर/पूर्वी चम्पारण एवं मधुबनी से वार्ता करने का निदेश दिया गया। वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी से कार्ययोजना के संबंध में वार्ता करने का आश्वासन दिया गया।

अंत में ईखायुक्त, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि पूरी टीम कल एक बैठक आयोजित कर कार्ययोजना अच्छी तरह से तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–01–5002/2020–पार्ट–1044/ईखा० /पटना, दिनांक– 07 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि– ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/संयुक्त ईखायुक्त/ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ वरीय उप–समाहर्त्ता, सीतामढ़ी/जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी/मुख्य महाप्रबंधक, रीगा चीनी मिल, रीगा, सीतामढ़ी/प्रशाखा पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–01–5002/2020–पार्ट– 1044/ईखा० /पटना, दिनांक– 07 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि–सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–01–5002/2020–पार्ट– 1044/ईखा० /पटना, दिनांक– 07 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।